



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी हापुड वन प्रभाग, हापुड।

पत्रांक: 911 / 14-1, दिनांक, हापुड 24 सितम्बर, 2020

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक

मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

विषय: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा गंगा कैनाल मील 106.775 से 107 तक क्षेत्रफल 0.144 हेक्टेएर 14 वृक्षों के पातन एवं जनपद हापुड के अन्तर्गत अपर गंग कैनाल मील 107 से 107.984 तक सालिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु लिंक मार्ग के निर्माण हेतु 000.6716 हेक्टेएर एवं बाधक 91 वृक्षों के पालन कुल 0.8156 हेक्टेएर संरक्षित वनभूमि के हस्तानन्धन एवं कुल बाधक 105 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यूपी०/०६/१०२/२०१९/एफ०सी०/४८१ दिनांक 07.01.2020 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक 686/11-सी-एफ०पी०/यूपी०/रोड़/३९९९/२०१९ दिनांक 24.09.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वांछित सूचना बिन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित है।

Observe No.	Observation of GOI	Reply
1	Certificate of DFO indicating suitability of land proposed for Compeensatory Afforestation shall be submitted.	भारत सरकार के आपत्ति सं० 1 के निराकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार की गाईड लाईन के अनुसार संरक्षित वन भूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराये जाने का प्राविधान है। समतुल्य वन भूमि उसी स्थिति में दी जाती है। जब आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही हो जबकि प्रकरण में संरक्षित वन भूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण के स्थल का उपयुक्ता प्रमाण-पत्र प्रेषित किया गया है।
2	Since the user agency is State Government as recommended by DFO. CA to be taken up on equivalent Non Forest Land (NFL) instead of degraded Forest land. Accordingly rasided CA scheme of plantation on 0-8156 ha. of NFL shall be submitted.	भारत सरकार के आपत्ति सं० 1 के निराकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। तथा भारत सरकार की गाईड लाईन के अनुसार संरक्षित वन भूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराये जाने का प्राविधान है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु उच्च स्तर को लिखने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी

हापुड वन प्रभाग हापुड।

पत्रांक / दिनांक

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी

हापुड वन प्रभाग, हापुड।